IJIRSET
International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 3, March 2022

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.569

9940 572 462 | 6381 907 438 | ijirset@gmail.com | www.ijirset.com

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1103118|

दलितों के उद्धार में अम्बेडकर के प्रयास

Dr. Rajesh Kumar Chouhan

Associate Professor in Political Science, Government College, Bundi, Rajasthan, India

सारांश

जाति-पाति, छूत-अछूत, ऊँच-नीच आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के दौर में एक ऐसी असाधारण शख्सियत का अवतरण इस धरती पर हुआ, जिसने समाज में एक नई क्रांतिकारी चेतना व सोच का सूत्रपात किया। वह महान शख्सियत थी, डा. भीमराव रामजी अम्बेडकर। उन्नीसवीं सदी में देश में छूत-अछूत, जाति-पाति, धर्म-मजहब, ऊँच-नीच आदि कुरीतियों का स्थापित साम्राज्य चरम सीमा पर जा पहुंचा था। देश में मनुवादी व्यवस्था के बीच समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में विभाजित था। शूद्रों में निम्न व गरीब जातियों को शामिल करके उन्हें अछूत की संज्ञा दी गई और उन्हें नारकीय जीवन जीने को विवश कर दिया गया। उन्हें छुना भी भारी पाप समझा गया। अछूतों को तालाबों, कुंओं, मंदिरों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि सभी जगहों पर जाने से एकदम वंचित कर दिया गया। इन अमानवीय कृत्यों की उल्लंघना करने वाले को कौड़ों, लातों और घूसों से पीटा जाता, तरह-तरह की भयंकर यातनाएं दी जातीं। निम्न जाति के लोगों से बेगार करवाई जातीं, मैला ढुलवाया जाता, गन्दगी उठवाई जाती, मल-मूत्र साफ करवाया जाता, झूठे बर्तन साफ करवाए जाते और उन्हें दूर से ही नाक पर कपड़ा रखकर अपनी जूठन खाने के लिए दी जाती व बांस की लंबी नलिकाओं से पानी पिलाया जाता। खांसने व थूकने के लिए उनके मुंह पर मिट्टी की छोटी कुल्हड़ियां बांधने के लिए विवश किया जाता। जिस स्थान पर कथित अछूत बैठते उसे बाद में उस स्थान को पानी से कई बार धुलवाया जाता। अत्यन्त कुटिल व मानवता को शर्मसार कर देने वाली परिस्थितियों के बीच दलितों, पिछड़ों और पीड़ितों के मुक्तिदाता और मसीहा बनकर अवतरित हुए डा. भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट महू छावनी में एक महार जाति के परिवार में हुआ। उनका पैतृक गाँव रत्नागिरी जिले की मंडणगढ़ तहसील के अंतर्गत आम्ब्रावेडे था। उनके पिता का नाम रामजी राव व दादा का नाम मालोजी सकपाल था। वे अपने पिता की चौदह संतानों, 11 लड़कियों व 3 लड़कों में चौदहवीं संतान थे। उस समय पूर्व के 13 बच्चों में से केवल चार बच्चे बलराम, आनंदराव, मंजुला व तुलासा ही जीवित थे। शेष बच्चों की अकाल मृत्यु हो चुकी थी। समाज जाति-पाति, ऊँच-नीच और छूत-अछूत जैसी भयंकर कुरीतियों के चक्रव्युह में फंसा हुआ था, जिसके चलते महार जाति को अछूत समझा जाता था और उनसे घृणा की जाती थी। ऐसे विकट और बुरे दौर में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम भीमराव एकपाल उर्फ 'भीमा' था। उनके पिता जी फौज में नौकरी करते थे और कबीर पंथ के बहुत बड़े अनुयायी थे। उनकीं माता श्रीमती भीमाबाई भी धार्मिक प्रवृति की घरेलू महिला थीं। 20 नवम्बर, 1896 में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही माता का साया उनके सिर से उठ गया था। इसके बाद उनकी बुआ मीरा ने चारों बहन-भाईयों की देखभाल की। भीमराव ने प्रारंभिक शिक्षा सतारा की प्राथमिक पाठशाला में हासिल की। 7 नवम्बर, 1900 को उनका दाखिला सतारा के गवर्नमेंट वर्नाक्यूलर हाईस्कूल में करवाया गया। वे बचपन से ही अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि के थे और हर परीक्षा में अव्वल स्थान पर रहते थे।

परिचय

समय बीतने के साथ-साथ बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती ही जा रही है। दलितों तथा गैर दलितों के बीच उनकी तरह-तरह से व्याख्या की जा रही है। अंबेडकर के विचारों के तीन प्रमुख स्रोत थे। पहला उनका अपना अनुभव, दूसरा-महात्मा ज्योतिबा फूले का सामाजिक आंदोलन तथा तीसरा-बुद्धिज्म। इन स्रोतों की जड़ में भारत की अमानवीय जाति व्यवस्था थी। डॉ. अबेडकर को भी छुआछूत तथा जातीय घृणा का शिकार होना पड़ा था, जिससे खिन्न होकर उन्होंने इसे खत्म करने का अभियान चलाया। उन्होंने जाति व्यवस्था की ईश्वरीय अवधारणा का तीखा विरोध किया और इसे मानव निर्मित बताया। इस संदर्भ में उनके महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आए। गांधीजी कहते थे कि छुआछूत मानव की देन है इसलिए मानव प्रदत्त छुआछूत से तो लड़ना चाहिए, जबकि ईश्वरीय जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज नहीं उठानी चाहिए। गांधीजी की इस ईश्वरीय अवधारणा के विरुद्ध अंबेडकर चट्टान की तरह खड़े हो गए। यद्यपि छुआछूत निवारण के अभियान में गांधीजी की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी ईश्वरीय अवधारणा की दलितों ने तीव्र आलोचना की।[1]

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1103118|

जाति की ईश्वरीय अवधारणा के चलते डॉ. अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म की प्राणवायु बताया और साफ शब्दों में कहा कि ऊंच-नीच के भेदभाव के चलते हिंदू धर्म कभी मिशनरी धर्म नहीं बन पाया, जबकि अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म अनेक देशों की सीमाएं पार कर गए। जाति व्यवस्था विरोधी, अहिंसक तथा विश्वबंधुत्ववादी होने के कारण डॉ. अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इन्हीं कारणों से उन्होंने बौद्ध धर्म को दलितों के लिए सबसे उचित धर्म बताया। संक्षेप में डॉ. अंबेडकर का यही सामाजिक चिंतन था। संविधान के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनतंत्र को विकासशील बनाया, जिस कारण देश की एकता मजबूत हुई।

डॉ. अंबेडकर का राजनीतिक चिंतन भी जाति व्यवस्था से उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावित हुआ था। वह 1920 के दशक से ही दलितों के लिए पृथक मतदान की मांग करने लगे थे। इसके पीछे उनका तर्क था कि ऐसा होने से जाति व्यवस्था के विरोध तथा दलितों के हित में काम करने वाले ही चुनकर विधानसभा तथा लोकसभा में पहुंच सकेंगे अन्यथा दलित स्थापित पार्टियों के दलाल बनकर रह जाएंगे। गांधीजी के प्रबल विरोध और आमरण अनशन के कारण पृथक मतदान की मांग वापस ले ली गई, जिसके बदले मौजूदा आरक्षण व्यवस्था लागू हुई। यह व्यवस्था पूना पैक्ट के नाम से जानी जाती है। पूना पैक्ट का सबसे अधिक प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा। लाखों की संख्या में दलित शिक्षित होकर हर श्रेणी की नौकरियों में शामिल हुए और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा बदल दी। लेकिन आरक्षण नीति सही ढंग से लागू न होने के कारण दलित समाज का नुकसान भी हुआ है। डॉ. अंबेडकर की आशंका सही सिद्ध हुई। विधानसभा तथा लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि दलित मुक्ति के सवाल पर नकारात्मक भूमिका में आ गए।

सालों-साल चलती रही इसी भूमिका के कारण काशीराम की बहुजन समाज पार्टी का 1984 में उदय हुआ। काशीराम ने वर्तमान जनतांत्रिक प्रणाली में दलितों की भूमिका को 'चमचा युग' बताया। इसलिए उन्होंने बसपा का जो वैचारिक आधार खड़ा किया वह डॉ. अंबेडकर की आरंभिक राजनीतिक समझ यानी 1920 तथा 30 के दशक के विचारों पर आधारित है। यही कारण है कि उनके क्रियाकलाप में राजनीतिक तीखापान अधिक झलकता है। डॉ. अंबेडकर 1920 तथा 30 के दशक में जाति व्यवस्था के विरुद्ध उग्र रूप धारण किए हुए थे। बाद में उन्होंने सत्ता में भागीदारी के माध्यम से दलित मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश की। काशीराम ने 'सत्ता में भागीदारी' को 'सत्ता पर कब्जा' में बदल दिया। इस उद्देश्य से उन्होंने नारा दिया 'अपनी-अपनी जातियों को मजबूत करो।' इस नारे के तहत सर्वप्रथम बसपा ने विभिन्न दलित जातियों का सम्मेलन करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया। साथ ही उसने पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जिसका परिणाम था बसपा का 1993 में समाजवादी पार्टी से समझौता। दो साल बाद इस गठबंधन के टूट जाने के बाद बसपा का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा तथा उसके सहयोग से मायावती तीन बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं। किंतु 2007 में उत्तर प्रदेश के पिछले आम चुनाव में मायावती के नेतृत्व में बसपा ने दलित-ब्राह्मण एकता के नारे के साथ बहुमत हासिल कर लिया। यह बहुमत प्रचड जातीय धुरवीकरण के आधार पर मिला था। वैसे भी भारतीय चुनाव प्रणाली में हमेशा जातीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक धुरवीकरण आम प्रक्रिया का हिस्सा रही है। किंतु मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जातीय धुरवीकरण बेहद उग्र रूप में जनता के समक्ष आया है। उत्तर प्रदेश में इस धुरवीकरण से बसपा को सबसे अधिक फायदा पहुंचा है, जिस कारण वह सत्ताधारी पार्टी बन गई।[2]

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1103118|

विचार – विमर्श

उनका जन्म 14 अप्रैल सन् 1891 में मध्यप्रदेश के महू में जन्मे डॉ. भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब भी कहा जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय समाज की जातीय व्यवस्था और हिंदू धर्म की कुरूतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए बीता दिया। इतना ही नहीं उनका जीवन खास तौर पर दलितों और पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्षशील रहा।

उन्होंने हमेशा महिलाओं को शिक्षा देने पर जोर दिया। उन्होंने समाज में हर वर्ग के लिए समानता, शिक्षा, अधिकार और सम्मान देने की बात कही और उसके लिए सदैव काम किया। उन्होंने पिछड़े और मजदूर वर्ग के अधिकारों का कड़ा समर्थन किया। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों और संघर्षमय जीवन के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के कुछ विचार हैं, जिनके लिए उन्हें पूरी दुनिया में सम्मान मिला और जिन्हें दुनियाभर में उनके अनुयायी मानते हैं...

- जीवन लम्बा होने के बजाय महान होना चाहिए।
- मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है।
- बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।
- यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए।
- हिन्दू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए पूरी हिंदू व्यवस्था और समाज से लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमेशा ही महिलाओं को समानता, शिक्षा, सम्मान, अधिकार और अपनी समर्थता को समझने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को मनुवादी सोच से निकाला। उनकी समाज में बराबरी के लिए कानून बनाया। उन्हें हर क्षेत्र में जगह मिल सके ऐसी व्यवस्था बनाई। हिन्दू कोड बिल लाकर उन्होंने महिलाओं को भरण-पोषण, तलाक, पति की हैसियत के हिसाब से खर्चे का अधिकार दिलाया।[3]

डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। उन्हें दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1956 में समाजिक, राजनीतिक आंदोलन और दलित बौद्ध आंदोलन चलाया। जिसमें देश के लाखों दलित बहुजनों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मूर्ति पूजा का हमेशा विरोध किया। उन्होंने पूजा पाठ को हिंदू समाज का दोष बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म, उसका पालन, पूजा पाठ लोगों को कमजोर बनाता है।

उन्होंने कहा कि जीवन में शिक्षा ही सबकुछ है अगर शिक्षा पा सके तो जीवन में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। उनके जीवन की अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें लोग मोटिवेशन के तौर पर याद रखते हैं। उन्हें न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी सम्मान दिया जाता है। हर साल 14 अप्रैल के दिन उनका देश और विदेश में जन्मदिन मनाया जाता है। हर साल लगभग 11 करोड़ लोग उनके जन्मदिन को अलग-अलग तरीकों से मनाते हैं लेकिन इस बार कोरोना के कारण उनका जन्मदिन लोग घरों में मनाएंगे।

परिणाम

डॉ. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। जिन्होंने उपेक्षितों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों में सम्मानपूर्वक जीने की ललक जगाई। हज़ारों सालों से हो रहे शोषण और दमन के कारण, मानसिक रूप से मृत पड़ी जमात के मन में अपने अधिकारों के प्रति जो बिगुल फूका था, वह कारवां बनकर निरंतर बढ़ता जा रहा है।[4]

भारत देश को आज़ादी प्राप्त होने के बाद उन्होंने कहा था, "हम ऐसे समय में प्रवेश कर रहें हैं, जिसमें हम राजनैतिक रूप से तो बराबर हैं, लेकिन सामाजिक रूप से बराबर नहीं है।" उनकी यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी उस समय थी। जातिवादी ज़हर ने हमारे भारतीय समाज को बुरी तरह जकड़ लिया है। इस कारण दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर आए दिन अत्याचार होता रहता है, जिसके कारण एक बड़ी जनसंख्या ज़िल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए अभिसप्त है।

डॉ. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने भारतीय समाज-व्यवस्था का गहन अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि भारत को कमज़ोर बनाने, इसकी विकास की धारा अवरुद्ध करने तथा सामाजिक सौहार्द्र में सबसे बड़ी बाधा भेदभावपूर्ण जाति-व्यवस्था ही है। उनके समय देश में जातिप्रथा, जिसका सबसे अमानवीय रूप छुआछूत था, आज से कहीं अधिक विद्यमान थी। आज आज़ादी के 70 साल बाद भी, वह कुछ पुराने रूप में और कुछ रूप बदलकर हमारे समाज में मौजूद हैं। जाति-व्यवस्था के रूप में, भारतीय समाज में शोषण को सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्राप्त रही है, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी स्वयं भी भोगा था। इसलिए उन्होंने इस अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई अपने जीवन भर जारी रखी।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1103118|

भारतीय जाति व्यवस्था को समझने और उसके उन्मूलन के लिए उनकी पुस्तकें अछूत कौन और कैसे?, शूद्रों की खोज, काँग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया?, जातिभेद का बीजनाश आदि प्रमुख हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने बताया कि जातिभेद की नींव में धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनको सामाजिक मान्यता प्राप्त है। सामाजिक क्रांति के उद्देश्य से ही उन्होंने धार्मिक-सामाजिक कानून की किताब मनुस्मृति को 25 दिसम्बर, 1927 को अपने समर्थकों के साथ मिलकर दहन किया। उन्होंने कहा मनुस्मृति अस्पृश्यों और महिलाओं की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दासता का एक मुख्य कारण है। यह घटना भारतीय इतिहास में एक क्रान्तिकारी महत्व रखती है।

बाबासाहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय समाज के शोषितों, पीड़ितों, दलितों और पिछड़ों को आह्वान करते हुए कहा "शिक्षित बनो! संगठित बनो! संघर्ष करो!" उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि इसे अंजाम देने के लिए संस्थाओं और संगठनों का भी निर्माण किया। उनके द्वारा स्थापित संगठन और संस्थाएं हैं – सन् 1924 में बनी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सन् 1927 में समता सैनिक दल, सन् 1928 में डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसायटी, सन् 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी, सन् 1942 में अनुसूचित-जाति फेडरेशन, भारतीय बौद्ध महासभा आदि। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने लोगों को शिक्षित और संगठित करने का महती काम किया। उन्होंने पीपुल्स एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत 1946 में, बंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और 1950 में औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। इसके साथ ही 1953 में, बंबई में सिद्धार्थ वाणिज्य और अर्थशास्त्र महाविद्यालय एवं बंबई में, सिद्धार्थ विधि महाविद्यालय की स्थापना की। शिक्षा से सालों तक उपेक्षित समुदाय को शिक्षा का महत्त्व बताते हुए उन्होंने कहा, "शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वह दहाड़ेगा"[5]

निष्कर्ष

समाज सुधारक रायबहादुर सीताराम केशव के प्रयासों से 4 अगस्त 1923 को बंबई विधान परिषद में एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसके अनुसार अछूतों, दलितों, पिछड़ों को सार्वजानिक जगहों का उपयोग करने की उन्हें अनुमति मिल गई। कानूनी अधिकार मिलने के बावजूद भी तथाकथित उच्च कहलाने वाली कुछ जातियों के लोगों ने, इसे स्वीकार नहीं किया। महाड़ नामक बस्ती में चवदार तालाब के पानी का उपयोग अछूतों ने भी करना चाहा, लेकिन महाड़ बस्ती के सवर्ण इसके विरुद्ध थे। महाड़ के दलित कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को इस प्रकार के व्यवहार के बारे में बताया। 19-20 मार्च 1927 में बाबा साहब के नेतृत्व में दलितों ने इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय की आस में लोग इकट्ठा हुए और तालाब के पानी को पी लिया। जिस पानी को कुत्ते बिल्ली पी सकते थे, जानवर उसमें नहा सकते थे, उस पानी को दलित छू भी नहीं सकते थे। मानवीय गरिमा का इतना पतन! इस कारण बाबा साहब बड़े चिंतित और दुखी हुए। उनके दुखित मन के तूफान ने उन्हें 26 जून 1927 को 'बहिष्कृत भारत' में यह घोषणा करने को मजबूर किया, "अछूत समाज हिन्दू धर्म के अंतर्गत है या नहीं? इसका हमेशा के लिए फैसला होना चाहिए।"

दरअसल, अछूत समाज सिर्फ कहने के लिए हिन्दू था। उसे समाज में देवी-देवताओं के मंदिर में जाने तक की अनुमति नहीं थी। इसका असर हम आज आज़ादी मिलने के 70 साल बाद भी देखते हैं जो कभी अखबारों में सुर्खियां बन जाती है और कभी-कभी गांव-समाज में ही दबकर रह जाती है। ऐसे समय में डॉ. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में नासिक के 'कालाराम मंदिर' दर्शन के लिए दलितों ने आन्दोलन प्रारंभ किया। हज़ारों की संख्या में दलित मंदिर परिसर के पास पहुंचे और वहां के कर्मचारियों ने मंदिर के दरवाज़े बंद कर लिए। एक महीने के लिए दरवाज़े बंद रहे, लेकिन रामनवमी के दिन हर साल की तरह मूर्ति को रथ में बिठाकर जुलूस निकालना था। इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने समझौता हुआ कि दलित और सवर्ण दोनों मिलकर जुलूस निकालेगें, कई दिनों के पश्चात् कालाराम मंदिर कानून बना और दरवाज़े दलितों के लिए खोल दिए गए।

गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। काँग्रेस के नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार और काँग्रेस के बीच समझौता हुए बिना ही अन्य नेताओं और रियासतों के सहयोग से लंडन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रम्जे मॉक्डोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ हुआ। वायसराय के निमंत्रण पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित नेता की हैसियत से गोलमेज परिषद में शामिल हुए। सभी नेताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे, उनमें से डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने बड़ा ही ध्यान आकर्षित करने वाला भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, "मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधि की हैसियत से यहां उपस्थित हूं, उनकी स्थिति गुलामों और पशुओं से भी बदत्तर है। पशुओं को तो, उनके मालिक छूते हैं, पर हमें तो छूना भी पाप समझा जाता है। हमारी स्थित जो पहले थी, वैसी ही ब्रिटिश राज में है। हमें हमारे हाथों में राजनीतिक सत्ता चाहिए कि हम अपना दुःख स्वयं दूर करें।"

डॉ. अम्बेडकर के भाषण से सभी प्रभावित हुए। उन्होंने दलितों के लिए पृथक चुनाव, पृथक निर्वाचन संघ एवं सुरक्षित सीटों तथा नौकरियों में प्रवेश की मांग की। इस सम्मेलन में हिन्दू-मुस्लिम समझौता न बन सका और सम्मलेन समाप्त हो गया।[6]

5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता हुआ, सविनय-अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मलेन में जाना स्वीकार किया। 7 सितम्बर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1103118|

निर्वाचन की मांग की, लेकिन गांधी जी दलितों के पृथक निर्वाचन के लिए सहमत नहीं थे, जबकि सिक्खों, मुस्लिमों, ईसाईयों के पृथक निर्वाचन के लिए तैयार थे। उनका इसमें तर्क था कि इससे हिन्दू समाज बिखर जाएगा।

20 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 'सांप्रदायिक निर्णय' घोषणा हुई, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला और साथ में आम-निर्वाचन में भी मत देने एवं उम्मीदवार होने का अधिकार दिया गया। गांधी जी ने दलितों के पृथक निर्वाचन के विरोध में यरवदा सेन्ट्रल जेल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सूचित कर आमरण उपवास 20 सितंबर 1932 से प्रारंभ कर दिया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर लोगों द्वारा चारों तरफ से दबाब बनने लगा, साथ ही उन्हें गांधी जी के प्राणों की चिंता थी। नेताओं के सहयोग से गांधी और अम्बेडकर में दलितों की सुरक्षित सीटों (आरक्षण) को लेकर समझौता हुआ। पूना-पैक्ट के अनुसार दलितों को 'सांप्रदायिक निर्णय' से दुगनी सीटें मिली और यहीं से आरक्षण की नींव पड़ गई। लेकिन दलितों को इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, और वह यह कि उन्हें पृथक निर्वाचन से हांथ धोना पड़ा जिसका खामियाज़ा वे आज भी भुगत रहें हैं। दलितों के नेता चुनकर तो जाते हैं, लेकिन दलितों के सच्चे हितैसी नहीं होते। पृथक निर्वाचन न मिलने के कारण डॉ. भीमराव आंबेडकर को भी चुनाव में हारना पड़ा था।[7]

हिन्दू धर्म में दलितों और पिछड़ों के प्रति हिंसक व्यवहारों तथा शोषण एवं दमनकारी नीतियों से तंग आकर उन्हें सन् 1935 में कहना पड़ा, "मैं हिन्दू धर्म में पैदा अवश्य हुआ हूं लेकिन इस धर्म में रहते हुए मरूंगा नहीं।" धर्म परिवर्तन की घोषणा सुनकर इस्लाम, सिक्ख, ईसाई तथा जैन धर्म के धर्म गुरुओं ने बाबा साहब को अपने-अपने धर्म ग्रहण करने का आग्रह किया। लेकिन वे किसी के भी प्रलोभन में नहीं आए। उनका तर्क था कि धर्मान्तरण किसी आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि विशुद्ध आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए होता है। बहुत ही सोच विचार कर, पहले वह सिक्ख धर्म की ओर झुके, लेकिन अंत में उन्होंने बुद्ध के मार्ग पर चलना उचित समझा। जीवन के अंतिम दिनों में अपने अनुयाइयों को बौद्ध धर्म की शिक्षा समझाने के लिए एक वृहत ग्रन्थ 'बुद्धा एंड हिज धम्मा' की रचना की, जो भारतीय बौद्धों में विशेष रूप से लोकप्रिय है।[8]

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने आजीवन अछूतों के अधिकार की लड़ाई लड़ी। वे हमेशा अपने निजी जीवन की परेशानियों को भूलकर दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और वंचित समुदायों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहें।[9]

आज उन्हें विश्व के सबसे बड़े संविधान के निर्माता और 'सिम्बल ऑफ नॉलेज' के नाम से जाना जाता है। कहते हैं, 21वीं सदी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। उनके लोकतान्त्रिक विचारों का असर समाज में, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज डॉ. भीमराव अम्बेडकर का भारतीय समाज में वंचितों के सम्मान की लड़ाई शुरू करने के उनके अभूतपूर्ण योगदान के लिए, वे दलितों और पिछड़ों के लिए एक सूर्य समान हैं, जिनसे वे रोशनी, जीवन और उर्जा प्राप्त करते हैं।[10]

संदर्भ

1. On Franchise and Framing Constituencies (मताधिकार एवं निर्वाचन क्षेत्र बनाने के सन्दर्भ में) (1919)
2. Statement of Evidence to the Royal Commission of Indian Currency (भारतीय मुद्रा के दिया गया शाही आयुक्तालय को साक्ष्य का बयान) (1926)
3. Protection of the Interests of the Depressed Classes (शोषित/वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर दिया गया बयान) (मई 29, 1928)
4. State of Education of the Depressed Classes in the Bombay Presidency (बम्बई प्रेसीडेंसी में पिछड़े वर्गों में शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध में) (1928)
5. Constitution of the Government of Bombay Presidency (बम्बई प्रेसीडेंसी सरकार का संविधान) (मई 17, 1929)
6. A Scheme of Political Safeguards for the protection of the Depressed in the Future Constitution of a Self-governing India (भविष्य के स्वशासित भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए राजनैतिक प्रतिरक्षण की योजना) (1930)
7. The Claims of the Depressed Classes for Special Represention (पिछड़े वर्गों के विशेष प्रतिनिधित्व की मांग) (1931)
8. Franchise and Tests of Untouchability (छुआ-छूत की परख और विशेषाधिकार) (1932)
9. The Cripps Proposals on Constitutional Advancement (संवैधानिक प्रगति पर क्रिप्स प्रस्ताव) (जुलाई 18, 1942)
10. Grievances of the Schedule Castes (अनुसूचित जातियों की शिकायतें) (अक्तुबर 29, 1942)

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

Impact Factor:
7.569

doi crossref

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर
NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details